

## ओल्गा टेलसि वाद 1985

### प्रलिस के लयल:

सरवोच्च न्यायालय, ओल्गा टेलसि बनाम बॉम्बे नगर नगल (1985), फुटपाथ पर रहने वालों के जीवन का अधकलर, अतकलरमण रोधी पूरव स्वीकृतल

### मेन्स के लयल:

जीवन का अधकलर, नरलणय और मामले, न्यायपालकल

## चरचा में क्यो?

हाल ही में ओल्गा टेलसि बनाम बॉम्बे नगर नगल 1985 के मामले में [सरवोच्च न्यायालय](#) की संवधान पीठ के फैसले में कहा गया कल जलहाँगीरपुरी (दलली) मामले में फुटपाथ के नवलसी, आतकलरमणकारयों से भनलन हैं, जो आगामी नरलणयों में एक महत्त्वपूर्ण भूमकल नभल सकते हैं ।

## सरवोच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए प्रश्न:

- **पृष्ठभूमल:** यह मामला 1981 में तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र राज्य और बॉम्बे नगर नगल ने फैसला कयल कल बॉम्बे शहर में फुटपाथ एवं झुगगी-झोपड़ी में रहने वालों को बेदखल कयल जाना चाहयल तथा उन्हें "उनके मूल स्थान या बॉम्बे शहर के बाहर के क्षेत्रों पर नरलवासलत कयल जाना चाहयल ।"
- **फुटपाथ पर रहने वालों के जीवन के अधकलर का प्रश्न:** एक मुख्य प्रश्न यह था कलकयल फुटपाथ पर रहने वाले को बेदखल करना [संवधान के अनुच्छेद 21](#) के तहत उनके गारंटीशुदा आजीवकल के अधकलर से वंचतल करना होगा ।
  - अनुच्छेद 21 के अनुसार, "कानून द्वारा स्थापतल प्रक्रयल के अलावा कसी भी वयक्तलको उसके जीवन या वयक्तगत स्वतंत्रता से वंचतल नही कयल जाएगा" ।
  - भारत में लगभग दो करोड़ लोग फुटपाथ पर रहने वालों में शामिल हैं ।
- **अतकलरमण हटाने के लयल पूरव स्वीकृतल कल प्रश्न:** संवधान पीठ को यह नरलधारतल करने के लयल भी कहा गया था कलकयल बॉम्बे नगर नगल अधनलयल, 1888 में शामिल प्रावधान, मनमाने और अनुचतल तथा बना कसी पूरव सूचना के अतकलरमण हटाने की अनुमतल प्रदान करते हैं ।
- **अतकलरमण पर प्रश्न:** सरवोच्च न्यायालय ने इस सवाल की जाँच करने का भी नरलणय लयल कलकयल फुटपाथ पर रहने वालों को अतचारयों (Trespassers) के रूप में चहनतल करना संवधानकल रूप से अनुचतल होगा ।

## ओल्गा टेलसि बनाम बॉम्बे नगर नगल, 1985 मामले में सरवोच्च न्यायालय का नरलणय:

- ओल्गा टेलसि बनाम बॉम्बे नगर नगल नरलणय 1985, (*Olga Tellis vs Bombay Municipal Corporation judgment in 1985*) में न्यायालय ने नरलणय दयल कल फुटपाथ पर रहने वालों को बना तर्क के बल प्रयोग कर तथा उन्हें समझाने का मौका दयल बना बेदखल करना असंवधानकल है ।
  - यह उनके आजीवकल के अधकलर (Right to Livelihood) का उल्लंघन है ।
- न्यायालय ने फुटपाथ पर रहने वालों को केवल आतकलरमणकारी मानने वाले प्राधकलरयों पर कड़ी आपत्तल जताई थी ।
  - "वे (फुटपाथ पर रहने वाले) नहायत खराब आर्थकल स्थतल के कारण ज़्यादातर गंदी या दलदली जगहों पर रहने की जगह ढूँढ लेते हैं ।

## राज्य सरकार का बचाव:

- **वर्बलधन (Estoppel) का प्रश्न:** राज्य सरकार और नगल ने वरलोध कयल कल फुटपाथ पर रहने वालों को रोका जाना चाहयल ।
  - वर्बलधन (Estoppel) एक न्यायकल उपकरण है जसलके द्वारा एक अदालत कसी वयक्तल को दावा करने से 'रोक' सकती है ।
  - वर्बलधन कसी को यह दावा करने से रोक सकता है कल फुटपाथ पर उसके द्वारा बनाई गई झोपड़ी को उसके आजीवकल के अधकलर के कारण धवस्त नही कयल जा सकता है ।
- **सार्वजनकल रास्ते का अधकलर:** वे फुटपाथ या सार्वजनकल सड़कों पर अतकलरमण करने और झोपड़यों को बनाने के कसी भी [मौलकल अधकलर](#) का दावा नही कर सकते हैं क्योँकल लोगों को उन रास्तों पर आवाजाही का अधकलर है ।

## सर्वोच्च न्यायालय का हालिया नरिणयः

- **वर्बिधन परः** अदालत ने वर्बिधन के सरकार के तरूक को यह कहते हुए खारजि कर दिया कि "संवधान के खलिफ कोई वर्बिधन नहीं हो सकता ।" .
  - कोरूट ने कहा कि फुटपाथ पर रहने वालों के जीवन का अधिकार दौंव पर लगा है ।
- **आजीवकि के अधिकार परः** आजीवकि का अधिकार जीवन के अधिकार का एक "अभनिन घटक" है ।
  - यद आजीवकि के अधिकार को जीने के संवैधानकि अधिकार के हसिसे के रूप में नहीं माना जाता है, तो कसिी वयक्ती को उसके जीवन के अधिकार से वंचति करने का सबसे आसान तरीका यह होगा कि उसे उसकी आजीवकि के साधन से वंचति कर दिया जाए ।
- **पूरव सूचना परः दूसरे प्रश्न किक्या वैधानकि प्राधकिारयिों को बनिा पूरव सूचना के अतकिरण हटाने की अनुमति देने वाले कानून के प्रावधान मनमाना थे ।**
  - ऐसे अधिकारों को 'अपवाद' के रूप में संचालति करने के लयि डिज़ाइन किया गया है, न कि "सामान्य नयिम" की भाँति ।
  - बेदखली की प्रक्रया प्रक्रयात्मक सुरक्षा उपायों के पक्ष में होनी चाहयि जो न्याय के प्राकृतकि सिद्धांतों का पालन करती हो जैसे- दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर देना ।
  - सुनवाई का अधिकार पीड़ति वयक्तीों को नरिणय लेने की प्रक्रया में भाग लेने और गरमि के साथ अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करता है ।
- **अतचिरः** अदालत ने फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को अतचिरी मानने वाले अधिकारयिों पर कड़ी आपत्तजिताई है ।
  - शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि फुटपाथ पर रहने वाले लोग "बेहद बेबसी से गंदे फुटपाथों" पर रहते हैं, न कि कसिी को अपमानति करने, डराने या परेशान करने के उद्देश्य से ।
  - वे फुटपाथ पर रहते हैं और कमाते हैं क्यौंकि उनके पास "शहर में देखभाल के छोटे-छोटे काम हैं और रहने के लयि कोई घर नहीं है ।"

## वगित वर्शों के प्रश्नः

प्रश्नः भारत के संवधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के वयक्तीसे शादी करने की सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है? (2019)

- (a) अनुच्छेद 19
- (b) अनुच्छेद 21
- (c) अनुच्छेद 25
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तरः (b)

व्याख्याः

- वविह का अधिकार भारत के संवधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक घटक है जसिमें कहा गया है कि "कानून द्वारा स्थापति प्रक्रया के अनुसार कसिी भी वयक्ती को उसके जीवन और वयक्तीगत स्वतंत्रता से वंचति नहीं किया जाएगा" ।

स्रोत- द हट्टि